

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर


आदेश

निम्नांकित प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) का निधन उनके नाम के सामने अंकित दिनांक को हो जाने एवं स्थानीय निकाय से जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर नाम के सामने अंकित दिनांक से इनकी सेवाएं समाप्त की जाती है।

क्र सं	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राजमावि/राज्यउमावि) (श्री/श्रीमती)	कार्मिक आई.डी.	जन्म तिथि	निधन दिनांक	सेवा समाप्ति दिनांक
1	लक्ष्मी रमण वशिष्ठ - प्रताप, अलवर	RJAL200502015060	30.07.1967	20.04.2021	20.04.2021
2	गोपाल कृष्ण खण्डेलवाल - रेलमगरा, राजसमन्द	RJRA198831011375	18.12.1967	15.05.2021	15.05.2021

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित कार्मिक के विरुद्ध आज तक:-

- 1-राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- 2- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- 3-कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.
निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 01/06/2021

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/सेवासमाप्ति/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग.....।
- 2-उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग.....।
- 3-संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
- 4-संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 5-संबंधित प्रधानाचार्य.....।
- 6-संबंधित आश्रित स्वर्गीय श्री.....।
- 7-सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- 8-अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्मिकों की वरिष्ठता विलोपन की कारवाई की जानी सुनिश्चित करें।
- 9-निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर